



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

श्रावण 6, शुक्रवार, शाके 1939-जुलाई 28, 2017
Sravana 6, Friday, Saka 1939-July 28, 2017

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 25, 2017

एस.ओ.135 :-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 88 की उप धारा (6) के अनुसरण में राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच दिनांक 13.06.2017 को किये गये निम्नलिखित परिवहन करार का एतद्वारा प्रकाशन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है, जिसके प्रारूप का पूर्व प्रकाशन राजस्थान राजपत्र दिनांक 18.02.2014 में किया जा चुका है और प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों का निस्तारण कर दिया गया है।

पारस्परिक परिवहन करार

यह करार आज दिनांक 13 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "उत्तर प्रदेश सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष और राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राजस्थान सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

चूँकि देश के तीव्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच यात्रियों और माल के लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय परिवहन को प्रोत्साहित किया जाए और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाये, दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक करार करना आवश्यक है;

और चूँकि, इससे सम्बद्ध पक्ष चाहते हैं कि उनके मध्य उक्त विषय पर हुए समस्त पूर्ववर्ती करारों का अतिक्रमण करके एतदपश्चात् दिये गये निबन्धन और शर्तों पर उनके मध्य करार किया जा सकता है।

अब यह दिलेख साक्षी है और दोनों पक्षकार एतद्वारा पारस्परिक रूप में निम्नलिखित करार करते हैं:

यह करार सम्बन्धित राज्यों के सरकारी गजट में अन्तिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. मालयान अनुज्ञा पत्र:

(क) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन मालयान अनुज्ञा पत्र

एकल बिन्दु कर आधार पर अन्य राज्य के सम्पूर्ण भाग के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा माल यानों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना जारी माल यान के लिए अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर, सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरण की सिफारिश पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रतिहस्ताक्षर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किये जायेंगे:—

- (क) माल यान अनुज्ञापत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 में यथा विनिर्दिष्ट और सम्बन्धित राज्य में प्रवृत्त राज्य मोटर यान नियमावली के अधीन ऐसी शर्तों जिन्हें सम्बन्धित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए उचित समझे, के अधीन होंगे।
- (ख) यह कि प्रतिहस्ताक्षर द्वारा आच्छादित यान का उपयोग व्यक्तिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात् ऐसे यान, व्यक्तिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन करार किये जाने से प्रतिशिद्ध होंगे।
- (ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मालयान (अस्थायी अनुज्ञापत्र)

एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना और उनकी संख्या पर निर्बन्धन के बिना अतिरिक्त तीस दिन की अवधि के लिए विद्यमान अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किये जा सकते हैं। इन अनुज्ञापत्रों द्वारा आच्छादित यानों पर अन्य राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य माल नहीं लादा और उतारा जायेगा। उन फेरों की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा जो अनुज्ञापत्र की विद्यमानता के दौरान यानों पर निष्पादित किये जा सकते हैं।

3. ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र

(एक) ठेका गाड़ी परमिट (मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र)

यह अनुज्ञा पत्र, पर्यटकों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये जा सकते हैं। अनुज्ञा पत्रों में प्रारम्भ और वापसी यात्रा को दर्शाते हुए यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा। अनुज्ञा पत्र में ऐसा क्रम भी अन्तर्विष्ट होगा जिसमें विभिन्न स्थान, ऐसे स्थान से आगमन और प्रस्थान के समुचित दिनांक का उपदर्शन और अनुज्ञा पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित मोटर कैब से भिन्न गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची सहित प्रदर्शित किये जायेंगे।

(दो) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-87(1)(क) के अधीन अस्थायी ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1)(क) के अधीन अस्थायी ठेका गाड़ी के अनुज्ञा पत्र, प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा उनकी संख्या पर किसी सीमा के बिना और व्यक्तिकारी राज्य की पूर्व सहमति के बिना जारी किये जायेंगे।

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अधीन मंजिली गाड़ी अनुज्ञा पत्र

(एक) उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्य के बीच अन्तर्राज्यीय मार्गों पर मंजिली गाड़ी के संचालन के सम्बन्ध में पारस्परिक परिवहन समझौता अनुलग्नक "क" और "ख" के अनुसार होगा।

(दो) प्रत्येक अन्तर्राज्यीय मार्ग पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित फेरों की संख्या यथा सम्भव प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले मार्ग की लम्बाई के अनुसार नियत की जायेगी। इस करार के प्रयोजन के लिए फेरा का तात्पर्य दैनिक एकल फेरा से है। अनुलग्नक 'क' और 'ख' में उल्लिखित मार्गों का तात्पर्य उनमें उल्लिखित स्थानों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो टर्मिनलों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी के सीधे मार्ग से है। उक्त अनुलग्नकों में प्रदर्शित मार्ग के नाम या उसकी लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यक्तिकारी राज्यों के मध्य तत्परता से पत्र व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जायेगा और उसे करार के किसी उपान्तरण के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(तीन) अनुलग्नक--'क' में उल्लिखित मार्गों की समय सारिणी, दोनों राज्यों के अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा नियत की जायेगी और अनुलग्नक--'ख' में उल्लिखित मार्गों की मंजिली

गाड़ियों की समय सारिणी, पारस्परिक परामर्श, यदि अपेक्षित हो, के पश्चात् सम्बन्धित राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा नियत की जायेगी।

(चार) किसी राज्य में स्थित भाग के लिए यात्री किराया अपने-अपने राज्य द्वारा नियत किये गये दरों के अनुसार प्रभारित किये जायेंगे।

(पांच) पारस्परिक करार के अधीन आने वाले दोनों राज्यों की मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर, एकल बिन्दु कराधान आधार पर किया जायेगा जिसका तात्पर्य यह है कि ऐसे प्रत्येक अनुज्ञा पत्र धारक को केवल विशेष मार्ग कर/ यात्री कर/माल कर/अतिरिक्त कर इत्यादि (जिस भी नाम से आरोपित किया जाय) का संदाय करना होगा।

(छ:) यदि किसी कारण से अनुज्ञा-पत्र के, उसकी समाप्ति के पूर्व, नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विनिश्चय करना सम्भव न हो तो व्यतिकारी राज्य को सूचित करने के अधीन चार माह तक की अवधि के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 87(1)(घ) के अधीन गृह राज्य अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यक्षीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर व्यतिकारी राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा और मोटरयान को एकल बिन्दु कराधान आधार पर चलाने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा :

परन्तु अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 81(2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(सात) व्यतिकारी राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों या उनके किसी भाग पर राज्य परिवहन उपक्रमों से भिन्न, मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान या प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया जायेगा।

(आठ) दोनों राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रम किसी अन्तर्राज्यीय मार्ग पर संचालन, अपने स्वामित्व अथवा ऐसे स्वामी और उपक्रम के मध्य उपक्रम द्वारा उस यान के उपयोग हेतु की गयी किसी व्यवस्था के अधीन, अपने बेड़े की किसी वाहन द्वारा सम्बन्धित राज्य परिवहन उपक्रम की सहमति पर कर सकेंगे।

(नौ) अपने-अपने राज्यों के परिवहन उपक्रम, अधिसूचित मार्गों पर मंजिली गाड़ी की नयी सेवायें जोड़ सकते हैं या दोनों राज्य सरकारों के अनुमोदन से लिखित पारस्परिक करार द्वारा समस्त सार्वजनिक मांग को ध्यान में रखते हुए किसी विद्यमान मार्ग पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह भी

होगा कि ऐसी सेवाओं के मामले में व्यक्तिकारी राज्य को अपने-अपने राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा कोई मोटरयान कर/मार्गकर संदेय नहीं होगा।

(दस) समस्त पूर्ववर्ती मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा पत्र, जो इस करार के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी एक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हैं, प्रवृत्त रहेंगे।

5. अस्थायी परमिट की समान्य शर्तें

(एक) प्रत्येक माह जारी विभिन्न प्रकार के अस्थायी अनुज्ञा पत्रों (माल यान/ठेका गाड़ी) की पृथक-पृथक सूची, दूसरे राज्य द्वारा प्रत्येक राज्य के परिवहन आयुक्तों को प्रस्तुत की जायेगी।

(दो) पूर्वगामी अनुच्छेद-4(छः) के अधीन जारी अस्थायी अनुज्ञा पत्रों को छोड़कर समस्त अस्थायी अनुज्ञा पत्र, यदि प्रतिहस्ताक्षरित या अनुज्ञात हों, द्विबिन्दु कराधान आधार पर होंगे जिसका तात्पर्य है कि ऐसे प्रत्येक अनुज्ञा पत्र, धारक को सम्बन्धित राज्य की प्रतिहस्ताक्षर फीस सहित विशेष मार्गकर/यात्रीकर और मोटरयान कर/मार्ग कर, जैसी भी स्थिति हो, दोनों का संदाय करना होगा।

(तीन) उत्तर प्रदेश का परिवहन प्राधिकारी, राजस्थान राज्य के लिए ऐसा अनुज्ञा पत्र प्रदान करते समय स्वामी/चालक को निर्देशित करेगा कि वह राज्य में प्रवेश करने के पूर्व सीमा पर स्थित कर संग्रह केन्द्रों/जांच चौकियों पर करों का भुगतान करे।

(चार) राजस्थान राज्य का परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ऐसा अनुज्ञा पत्र प्रदान करते समय स्वामी/चालक को निर्देशित करेगा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य का देय कर, ई-भुगतान के माध्यम से या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा, जो भारतीय स्टेट बैंक में भुगतान योग्य हो या अन्य किसी रीति से जैसा परिवहन आयुक्त द्वारा बाद में निर्धारित किया जाये, भुगतान करे। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरुपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैंक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा-पत्र में बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण पृष्ठांकित किया जायेगा और बैंक ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम से देय होगा जो संभागीय परिवहन अधिकारी जिसके क्षेत्र से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो। ऐसे बैंक ड्राफ्टों को यान के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य की सीमा पर स्थित जांच चौकियों/कर संग्रह केन्द्रों पर जमा किया जायेगा और यदि सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य का कर संग्रह केन्द्र न हो तो उसे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश बिन्दु पर कराधान अधिकारी के अवस्थित नजदीकी कार्यालय में जमा किया जायेगा।

यदि इस प्रकार जमा कर की धनराशि में कोई कमी हो तो उसे सीमा पर स्थित जांच चौकी पर नकद में आगणित और वसूल किया जायेगा जिसके लिए विहित प्रपत्र पर उसकी आवश्यक रसीद तत्काल जारी की जायेगी। मोटरयान कर, यात्रीकर और माल कर अथवा अन्य किसी नये नाम से ये कर निर्धारित हों, के लिए पृथक डिमान्ड ड्राफ्ट देय होंगे।

6. कराधान

विभिन्न श्रेणी के अनुज्ञा पत्रों पर प्रचालित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की वाहनों के सन्दर्भ में व्यक्तिकारी राज्यों के कर, सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम एवं नियमावली के उपबन्धों के अनुसार संदेय होंगे।

7. प्रतिहस्ताक्षर

दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा की गयी सिफारिश पर यथास्थिति, किसी राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर स्वीकृत किया जायेगा।

8. कॉरीडोर मार्ग

उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये कुछ मार्ग एक राज्य में प्रारम्भ और समाप्त होने वाले बिन्दुओं के बीच अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी छोटे भाग में से होकर जाते हैं। अतएव राज्य के मोटरयानों की, जो ऐसे मार्गों पर चलाये जाने के लिए अनुज्ञात हैं, सम्पूर्ण यात्रा पूरी करने के लिए दूसरे राज्य की उस छोटी सी पट्टी से होकर जाना पड़ेगा।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन यह उपबन्धित है कि जहां किसी मार्ग के प्रारम्भ होने वाले बिन्दु और समाप्त होने वाले दोनों बिन्दु एक ही राज्य में स्थित हों किन्तु ऐसे मार्ग का भाग किसी दूसरे राज्य में पड़ता हो और ऐसे भाग की लम्बाई सोलह किलोमीटर से अधिक न हो, वहां अनुज्ञा पत्र मार्ग के उस भाग के सम्बन्ध में जो उस अन्य राज्य में है, अन्य राज्य में इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अनुज्ञा पत्र पर उस दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया है, विधिमान्य होगा।

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए मुक्त कॉरीडोर सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे यानों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अनुज्ञा-पत्रों को मोटरयान कर के प्रयोजनों के लिए उन अनुज्ञा-पत्रों के समान समझा जाएगा जिन्हें

भा
सा
परअन
जा
पृष्
(1)जा
निर
कर9.
(एव

(दो)

इस

उ

सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है और वे एकल विन्दु कर के आधार पर अनुज्ञापत्र होंगे।

जब कभी पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अन्य राज्य के मुक्त कॉरीडोर में वाहन प्रचालन के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाते हैं तो ऐसे अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जायेगा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं। जारी करने वाला प्राधिकारी सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम और नियमावली के अध्याधीन अनुज्ञापत्र धारक से ऐसे कॉरीडोर मार्ग का देय समस्त कर यथा विशेष मार्ग कर/यात्री कर इत्यादि, वसूल करेगा।

9 सामान्य

(एक) व्यक्तिकारी राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चल रहे यानों के सम्बन्ध में दोनों राज्यों में से प्रत्येक की सुसंगत नियमावली के अधीन जारी कर, टोकनों, चालक और परिचालक अनुज्ञप्ति, परिवहन यान प्राधिकार और स्वस्थता प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान करेंगे।

(दो) यह करार ऐसे समय तक विधिमान्य रहेगा, जब तक दोनों राज्यों के बीच कोई नया करार नहीं हो जाता है। तथापि यह करार किसी भी राज्य द्वारा तीन माह की नोटिस जारी करने के पश्चात् विखण्डित किया जा सकता है। यह करार प्रत्येक वर्ष या दोनों में से किसी राज्य के परिवहन प्राधिकारी के अनुरोध पर पुनरीक्षण के लिए खुला रहेगा। जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल के
लिए

और उनकी ओर से

साक्षी
के. रविन्दर नाईक
परिवहन आयुक्त
एवं प्रबंध निदेशक
उत्तर प्रदेश राज्य
पथ परिवहन निगम

शैलेन्द्र अग्रवाल
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग,
राजस्थान सरकार

राजस्थान के श्री राज्यपाल के लिए
और उनकी ओर से

साक्षी
कुलदीप रांका
प्रबंध निदेशक
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

अनुलग्नक-क

राजस्थान व उत्तर प्रदेश के मध्य अन्तर्राज्यीय मार्गों (राष्ट्रीयकृत मार्गों से भिन्न) एवं सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	किलोमीटर			फेरे		अनुज्ञा पत्रों की संख्या		परिचालित कि.मी.	
		उत्तर प्रदेश	राजस्थान	योग	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	राजस्थान में उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश में राजस्थान में
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	5a	5b	6a	6b
1	मथुरा-भरतपुर	22	14	36	48	36	24	18	672	792
2	कुम्हेर-गोवर्धन	19	8	27	26	10	16	8	*208	190
3	भरतपुर-गोवर्धन वाया जाजमपट्टी	17	21	38	16	20	8	10	336	340
4	राजाखेड़ा-भदरौली वाया सादिकपुर	24	8	32	44	8	18	8	*192	192
5	हिन्डोन-फतेहपुर सीकरी वाया बयाना	6	78	84	4	24	4	24	314	**144
6	बयाना-गोवर्धन वाया कुम्हेर, सौख	24	56	80	8	12	8	12	448	288
7	भरतपुर-फतेहपुर सीकरी वाया ऊँचानगला	10	14	24	16	8	8	4	224	**80
8	भरतपुर-अछनेरा वाया मोह, पिपला, ओल	12	18	30	6	8	3	4	108	96
9	रूपवास-फतेहपुरसीकरी वाया खनवामोड़	12	10	22	8	8	4	4	80	96
10	धौलपुर-फतेहपुरसीकरी वाया बारी, बरोड़ी, रूपवास	27	58	85	4	8	2	4	232	216
	योग-				180	142	95	96	2814+*480=2334	2434+**224=2210

- राजस्थान में लम्बाई में 10 किलोमीटर तक के मार्गों का परिचालन किलोमीटर दूरी अपवर्जित कर दी गयी है।
- उत्तर प्रदेश में लम्बाई में 10 किलोमीटर तक के मार्गों की परिचालन किलोमीटर दूरी अपवर्जित कर दी गयी है।

अनुलग्नक-ख

उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्य के मध्य अन्तर्राज्यिक मार्गों पर राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित होने वाले मार्गों एवं सेवाओं का विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	किलोमीटर				एकल फेरा		परमिट		संचालन किलोमीटर	
		उत्तर प्रदेश	राजस्थान	अन्य	कुल	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	राजस्थान में उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश में राजस्थान में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2	3a	3b	3c	3d	4a	4b	5a	5b	6a	6b
1	आगरा- ग्वालियर	32	29	66	127	0	20	0	10	0	580
2	आगरा- राजाखेड़ा	32	7	0	39	24	0	6	0	768	0
3	जयपुर- ग्वालियर	82	221	66	369	4	6	4	6	328	1326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	आगरा-जयपुर-वाया जयानमला	50	192	0	242	4	24	4	12	200	4608
5	ग्वालियर- दिल्ली वाया आगरा	148	25	164	339	2	10	2	5	292	290
6	जयपुर-कानपुर वाया आगरा	340	202	0	542	0	4	0	4	0	808
7	मथुरा- ग्वालियर वाया आगरा	90	29	66	185	6	6	3	3	540	174
8	मथुरा-भरतपुर- जयपुर	22	198	0	220	8	16	8	8	176	3168
9	अलीगढ़-अजमेर वाया मथुरा-जयपुर	86	334	0	420	4	2	4	2	344	668
10	बूढ़ावन-उदयपुर	37	630	0	667	2	2	2	2	74	1260
11	मथुरा-अलवर	31	89	0	120	18	0	9	0	558	0
12	आगरा-भरतपुर वाया चिकसना	42	16	0	58	6	0	2	0	252	0
13	आगरा-भरतपुर वाया फतेहपुर सीकरी	50	13	0	63	14	8	7	4	700	104
14	आगरा-धौलपुर	32	24	0	56	8	8	2	2	256	192
15	आगरा-खजुराहो	130	29	248	407	0	4	0	4	0	116
16	हरिद्वार-जयपुर वाया दिल्ली	145	167	184	496	12	12	12	12	1740	2004
17	मथुरा-कैलादवी वाया भरतपुर	22	173	0	195	4	0	2	0	88	0
18	मेरठ-अजमेर-पुष्कर वाया दिल्ली	58	314	130	502	4	4	4	4	232	1256
19	मेरठ-बालाजी वाया अलवर	58	163	147	368	2	2	2	2	116	326
20	मुरादाबाद-अजमेर वाया दिल्ली	161	299	130	590	0	4	0	4	0	1196
21	बरेली-अजमेर वाया मथुरा	257	331	0	588	4	2	4	2	1028	662
22	आगरा-अजमेर वाया भरतपुर	50	331	0	381	0	4	0	4	0	1324
23	बुलन्दशहर-अजमेर वाया मथुरा	154	331	0	485	0	2	0	2	0	662
24	महोबा-आगरा	195	29	171	395	0	4	0	4	0	116
25	झाँसी-दिल्ली	162	29	242	433	0	2	0	2	0	58
26	महोबा-दिल्ली	309	29	216	554	0	2	0	2	0	58
27	मेरठ-अलवर वाया दिल्ली गुडगाँव	58	38	147	243	4	2	4	2	232	76
28	सहारनपुर-अजमेर वाया दिल्ली	157	299	130	586	2		2	0	598	
29	अलीगढ़-जयपुर वाया मथुरा-इग्लास	86	202	0	288	10	4	5	4	860	808
30	आगरा-बीकानेर वाया भरतपुर-जयपुर	50	552	0	602	2	0	2	0	100	0
31	नैनीताल-जयपुर वाया दिल्ली	210	167	228	605	4	2	4	2	840	334

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32 सोनी-सुन्दर बाग	14	340	0	10	0	6	0	6	0	2076
33 सोनी-सुन्दर बाग	218	321	0	575	0	2	0	2	0	652
34 फर्रुखाबाद-मैनपुरी	240	195	0	436	4	10	4	10	960	1960
35 फर्रुखाबाद-मैनपुरी	430	196	0	626	0	4	8	4	3440	784
36 कोटा-दिल्ली-जयपुर बाग कोटापुतली	195	167	134	498	0	2	0	2	0	334
37 जयपुर-धौलपुर बाग	64	35	0	119	2	0	1	0	168	0
38 भरतपुर-ग्वालियर	74	45	66	185	2	0	1	0	143	0
39 जयपुर-फिरोजपुर	56	198	0	292	4	0	2	0	334	0
40 फर्रुखाबाद-मैनपुरी	257	127	0	384	2	0	2	0	514	0
41 जयपुर-इटावा	280	16	0	296	2	0	2	0	560	0
42 जयपुर-मैनपुरी	18	165	0	348	2	0	1	0	382	0
43 भरतपुर-कायमागुज	208	11	0	212	2	0	1	0	416	0
44 जयपुर-मैनपुरी	35	202	0	287	4	0	2	0	340	0
45 फर्रुखाबाद-मैनपुरी	240	298	0	536	2	0	2	0	480	0
46 भरतपुर-इटावा	179	11	0	190	2	0	2	0	353	0
47 धौलपुर-फर्रुखाबाद	222	24	0	246	2	0	1	0	444	0
48 धौलपुर-इटावा	159	24	0	183	2	0	1	0	318	0
49 धौलपुर-मैनपुरी	188	24	0	212	2	0	1	0	376	0
50 धौलपुर-मैनपुरी	120	24	0	144	2	0	1	0	240	0
51 मथुरा-मैनपुरी	90	29	29	143	4	0	2	0	360	0
52 धौलपुर-सोनी बाग	168	24	0	192	4	0	2	0	672	0
53 ग्वालियर-अलीगढ़	118	29	66	213	2	0	1	0	236	0
54 धौलपुर-दिल्ली बाग	132	24	100	256	4	4	2	2	528	96
55 जयपुर-मैनपुरी	158	167	171	486	2	2	2	2	296	334

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	अलवर-मथुरा बाया	145	153	0	348	10	0	10	0	1480	0	
57	अलवर-मथुरा बाया	14	15	0	89	6	0	3	0	108	0	
58	अलवर-मथुरा बाया	85	14	0	99	6	0	3	0	510	5	
59	अलवर-मथुरा बाया	68	89	0	174	10	0	6	0	880	0	
60	अलवर-मथुरा बाया	52	128	0	130	4	0	2	0	208	0	
61	अलवर-मथुरा बाया	91	89	0	180	2	0	2	0	182	0	
62	अलवर-मथुरा बाया	248	89	0	337	2	0	2	0	496	0	
63	अलवर-मथुरा बाया	146	17	0	163	4	0	2	0	584	0	
64	अलवर-मथुरा बाया	93	43	0	136	2	0	1	0	186	0	
65	अलवर-मथुरा बाया	88	17	0	105	10	0	5	0	880	0	
66	अलवर-मथुरा बाया	61	17	0	111	2	0	1	0	138	0	
67	अलवर-मथुरा बाया	43	1	0	60	2	0	1	0	86	0	
68	अलवर-मथुरा बाया	43	212	0	245	2	2	1	1	56	404	
69	अलवर-मथुरा बाया	27	62	100	194	10	0	8	0	486	0	
70	अलवर-मथुरा बाया	71	17	100	188	4	4	2	2	284	88	
71	अलवर-मथुरा बाया	8	198	0	206	12	0	6	0	98	0	
72	अलवर-मथुरा बाया	58	299	130	487	2	0	2	0	116	0	
73	अलवर-मथुरा बाया	182	167	130	479	2	2	2	2	364	334	
74	अलवर-मथुरा बाया	136	167	227	530	4	2	4	2	544	334	
75	अलवर-मथुरा बाया	39	63	100	293	2	0	2	0	198	0	
76	अलवर-मथुरा बाया	27	164	100	291	2	0	2	0	54	0	
77	अलवर-मथुरा बाया	109	95	93	377	2	0	2	0	378	0	
78	अलवर-मथुरा बाया	313	202	54	569	2	2	2	2	626	404	
79	अलवर-मथुरा बाया	145	120	184	449	2	0	2	0	290	0	
80	अलवर-मथुरा बाया	145	246	184	575	2	0	2	0	290	0	
81	अलवर-मथुरा बाया	145	137	184	466	2	0	2	0	290	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	बिकानेर-हरिद्वार वाया राजगढ़- जिन्द-शमली- मुज्जफरनगर	70	277	296	643	4	0	4	0	280	0
83	गंगानगर-हरिद्वार वाया हिसार-हौसी- पानीपत-मुज्जफर नगर	70	227	272	569	2	0	2	0	140	0
84	जोधपुर-हरिद्वार वाया दिल्ली	145	519	184	848	4	0	4	0	580	0
85	जालौन-हरिद्वार वाया दिल्ली	145	585	190	920	2	0	2	0	290	0
86	उदयपुर-हरिद्वार वाया दिल्ली	145	609	183	937	2	0	2	0	290	0
87	अलवर-हरिद्वार वाया दिल्ली	145	38	201	384	4	0	4	0	580	0
88	भरतपुर-हरिद्वार वाया मथुरा-अलीगढ़	313	17	54	384	2	0	2	0	626	0
89	धौलपुर-हरिद्वार वाया आगरा- अलीगढ़-मेरठ	347	24	54	425	2	0	2	0	694	0
90	मथुरा-डोंग-कोसी	47	40	0	87	2	0	1	0	94	0
91	हौसी-मेरठ वाया खालियर-धौलपुर	275	29	153	457	0	2	0	2	0	58
92	लखनऊ-अजमेर वाया हरदोई- फर्रुखाबाद- बेवर-आगरा	437	331	0	768	2	2	2	2	874	662
93	आगरा-कैलादेवी वाया फतेहपुर सीकरी	50	170	0	220	2	2	1	1	100	340
94	आगरा-उदयपुर वाया भरतपुर-जयपुर	50	630	0	680	2	0	2	0	100	0
95	हिन्डीन-भरतपुर-मथु रा-सहारनपुर	295	94	0	389	2	0	2	0	590	0
96	अजमेर-वृंदावन	37	326	0	363	2	0	2	0	74	0
97	भरतपुर-कोसी वाया मथुरा, डोंग	69	54	0	123	4	0	2	0	276	0
98	भरतपुर-मथुरा	29	13	0	42	12	0	3	0	348	0
99	ढोलपुर-समीखरा	136	24	0	160	2	0	1	0	272	0
100	मथुरा-डोंग	31	9	0	40	12	0	3	0	372	0
101	भरतपुर-गंजदुवारा	173	11	0	184	2	0	1	0	346	0
102	बरी-आगरा-इटवा वाया खैरगढ़-सानिया	42	48	0	90	2	0	1	0	84	0
103	धौलपुर-बाह	71	24	0	95	2	0	1	0	142	0
104	भरतपुर-अकोला	40	11	0	51	2	0	1	0	80	0
105	जयपुर-सोनौली वाया आगरा	814	198	0	1012	0	4	0	4	0	792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	इलाहाबाद-पुष्कर वाया अजमेर-आगरा	541	345	0	886	0	2	0	2	0	690
107	बाँदा-अजमेर	443	331	0	774	0	2	0	2	0	662
108	आगरा-छतरपुर वाया धौलपुर	130	29	245	404	0	10	0	10	0	290
109	कोटा-झोंसी वाया शिवपुरी	16	185	132	333	4	0	2	0	64	0
110	भरतपुर-हाथरस वाया आगरा	104	11	0	115	4	0	2	0	416	0
111	आगरा-मार्सेट आबू	50	660	0	710	1	1	1	1	50	660
112	टोंक-अलीगढ़	93	298	0	391	4	0	2	0	372	0
113	सोरो-भरतपुर	178	11	0	189	2	0	1	0	356	0
114	आगरा-जोधपुर	50	526	0	576	4	0	4	0	200	0
115	धौलपुर-जयपुर वाया आगरा	82	217	0	299	14	0	7	0	1148	0
116	धौलपुर-जोधपुर वाया आगरा-भरतपुर	82	550	0	632	2	0	2	0	164	0
117	लखनऊ-झींग वाया मथुरा	473	9	0	482	0	2	0	2	0	18
118	अजमेर- शाहजहाँपुर वाया मैनपुरी	313	331	0	644	0	2	0	2	0	662
119	फिरोजाबाद- आगरा वाया ग्वालियर-धौलपुर	76	29	66	171	2	0	2	0	152	0
120	हाथरस-आगरा वाया ग्वालियर-धौलपुर	87	29	66	182	2	0	2	0	174	0
121	अलवर-अलीगढ़-हापु ड वाया मथुरा-बुलन्दशहर	200	89	0	289	2	0	2	0	400	0
122	अलवर-खैर-अलीगढ़ वाया मथुरा-बाजना	145	89	0	234	2	0	2	0	290	0
123	जयपुर-गोवरधन-सो रो वाया झींग	174	198	0	372	2	0	2	0	348	0
124	जोधपुर-अलीगढ़	85	542	0	627	2	0	2	0	170	0
125	अजमेर-कानपुर	345	328	0	673	2	4	2	4	690	1312
126	श्रीमधवपुर- रामघाट वाया नीम का थाना-अलवर- मथुरा-अलीगढ़	138	200	0	338	2	0	2	0	276	0
127	भरतपुर-हरदोई वाया कायमगंज	616	22	0	638	2	0	2	0	1232	0
128	अलवर-मुरादाबाद वाया तिजारा-मिवाडी- दिल्ली	157	94	96	347	2	0	2	0	314	0
129	कोटा-जयपुर-मुरादा बाद वाया कोटपुतली-दिल्ली	161	422	136	719	2	0	2	0	322	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	कोटा-जयपुर-बरेली वाया मराठापुर	243	457	0	700	2	0	2	0	486	0
131	जयपुर-टाकपुर वाया दिल्ली	233	167	242	642	2	0	2	0	466	0
132	भिरवाडा-हरिद्वार वाया जयपुर- कांठपुरतली-दिल्ली	147	434	190	771	2	0	2	0	294	0
133	चितौड़गढ़-हरिद्वार वाया बैगुन मडलगढ़ देवली-टोंक जयपुर	147	511	190	848	2	0	2	0	294	0
134	लडनू-हरिद्वार वाया मेहला-भिवानी रोहतक- पानीपत-रुडकी	90	209	258	557	2	0	2	0	180	0
135	लडनू-हरिद्वार वाया सुजानगढ़-रतनगढ़- धुरू-राजगढ़- हिसार-पानीपत	90	211	276	577	2	0	2	0	180	0
136	जयपुर-कोटद्वारा वाया दिल्ली	125	167	173	465	2	0	2	0	250	0
137	जयपुर-रुद्रपुर वाया दिल्ली	130	168	158	506	2	0	2	0	380	0
138	कैलादेवी-हरिद्वार वाया मथुरा	259	173	54	486	2	0	2	0	518	0
139	भरतपुर-हरिद्वार वाया मथुरा	259	17	54	350	2	0	2	0	518	0
140	कोटा-हाराद्वारा वाया जयपुर दिल्ली	145	419	184	748	2	2	2	2	290	838
141	खेतरी-हरिद्वार वाया नारनौर-रिवाडी दिल्ली-गाजियाबा- मेरठ-मुजफ्फर नगर	143	74	243	460	2	0	2	0	286	0
142	बारमेल-हरिद्वार वाया बीकानेर-राजगढ़ - हिसार-पानीपत- मुजफ्फर नगर	90	705	537	1332	2	0	2	0	180	0
143	कुम्हामान-हरिद्वार वाया शिकार-नीम का थाना दिल्ली	143	263	184	590	2	0	2	0	286	0
144	दौगाना-हरिद्वार वाया शिकार-नीम का थाना दिल्ली	143	340	184	667	2	0	2	0	286	0
145	नागौर-हरिद्वार वाया ढिडवाना-शिकार	143	361	184	688	2	0	2	0	286	0
146	नागौर-हरिद्वार वाया भोपालगढ़-मेरठ- अजमेर-दिल्ली	143	536	184	863	2	0	2	0	286	0
147	श्रीमधवपुर-हरिद्वार वाया अजीतगढ़- सापुडा दिल्ली	143	141	184	468	2	0	2	0	286	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	मोह-हरिद्वार बाया राजपुर-रिनवल- जोमू-चादबाजी कोटापुतली-दिल्ली	142	235	134	552	2	0	2	0	286	0
147	जजमेर-हरिद्वार बाया दिल्ली	145	299	184	623	2	0	2	0	290	0
150	फलोदी-हरिद्वार बाया बाप- बीकानेर-भारदार शहर-राजगढ़- हिसार-पानीपत- मुजफ्फरनगर	90	433	294	817	2	0	2	0	180	0
151	बीकानेर-हरिद्वार बाया लकारनसर- राजपुर-नोदर- वजारा-हिसार	90	332	258	680	2	0	2	0	180	0
152	झांझर-जयपुर बाया झुंझर-जयपुर	70	202	0	272	0	2	0	2	0	404
153	उरई-मुफ्फर बाया जालौना-औरंगा- आगरा-जयपुर	213	145	0	598	0	2	0	2	0	690
154	कोटरा-बालाजी बाया जालौना- इटावा-आगरा	368	72	0	440	0	4	0	4	0	288
155	उरई-जयपुर बाया उमरी-रामपुरा- कंजौसा- उदीमोड-आगरा	310	192	0	502	0	2	0	2	0	384
156	औरंगा-कोटा बाया झुंझर-बारा	16	185	132	333	0	4	0	4	0	740
157	टीकमगढ़-दिल्ली बाया औरंगा ग्वालियर आगरा	215	29	312	556	0	2	0	2	0	58
158	उरई-कैलादेवी बाया माधोगढ़- रामपुरा-कनौसा- उदीमोड-आगरा	308	165	0	473	0	4	0	4	0	660
159	मुरादाबाद-अजमेर बाया सम्भल- पानीपत-आगरा	342	338	0	680	0	4	0	4	0	1352
160	मुरादाबाद-जयपुर बाया उदीमोड- अलीगढ़-आगरा	302	198	0	500	0	2	0	2	0	396
161	मुरादाबाद-ग्वालियर बाया आगरा-धौलपुर	282	29	66	377	0	2	0	2	0	58
162	धामपुर-जयपुर बाया बिजनौर-दिल्ली	199	167	130	496	0	2	0	2	0	334
163	वेरु-जयपुर- वनस्थली बाया दिल्ली	57	243	112	412	0	2	0	2	0	486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	बाग-आगरा-जयपुर	125	196	0	321	0	2	0	1	0	392
165	मिराजाबाद-जयपुर वाया उंचा नगला	100	196	0	296	0	2	0	1	0	392
166	राजाखेड़ा-दिल्ली	152	7	89	248	0	2	0	1	0	14
167	रूपेडिहा-जयपुर वाया आगरा	636	196	0	832	0	2	0	2	0	392
168	सीतापुर-अजमेर- पुष्कर वाया नैमिशारण्य- हरदोई- फर्रुखाबाद-आगरा	418	331	0	749	0	2	0	3	0	662
169	बरेली-जयपुर वाया मथुरा	249	202	0	451	0	6	0	6	0	1212
170	बदायूं-अजमेर	243	288	0	531	0	2	0	2	0	576
171	बरेली-कदपुर-जयपुर	281	202	42	525	0	2	0	2	0	404
172	बरेली-टनकपुर- जयपुर	323	202	37	562	0	2	0	2	0	404
173	रूपेडिहा-जयपुर वाया आगरा	557	202	0	759	0	2	0	2	0	404
174	चित्रकूट-जयपुर वाया कानपुर आगरा	566	196	0	762	0	2	0	3	0	392
175	इलाहाबाद-जयपुर वाया कानपुर आगरा	541	202	0	743	0	4	0	4	0	808
176	सहारनपुर-शामली- पानीपत-हिसार हनुमानगढ़	90	165	207	462	0	2	0	2	0	330
177	हरिद्वार-मेरठ- दिल्ली-जयपुर पुष्कर	143	314	186	643	0	4	0	4	0	1256
178	मुजफ्फरनगर- दिल्ली-जयपुर	115	167	130	412	0	2	0	2	0	334
179	मुजफ्फरनगर- मेरठ-मथुरा-अलवर	295	89	0	384	0	2	0	2	0	178
180	मुजफ्फरनगर- मेरठ-अजमेर-पुष्कर	115	314	130	559	0	2	0	2	0	628
181	मुजफ्फरनगर- मेरठ-मथुरा- महावीरजी	223	113	0	336	0	2	0	2	0	226
182	सहारनपुर-मेरठ- मथुरा वाया महावीरजी	295	113	0	408	0	2	0	2	0	226
183	सहारनपुर-मेरठ- दिल्ली-जयपुर	187	167	130	484	0	2	0	2	0	334
184	सहारनपुर-मेरठ- मथुरा - बालाजी	360	104	0	464	0	2	0	2	0	208
185	सहारनपुर- शामली-दिल्ली- जयपुर	156	167	159	482	0	2	0	2	0	334
186	शाकुम्भरीदेवी-मेरठपुर -सहारनपुर-मेरठ- मथुरा	405	13	0	418	0	4	0	4	0	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	कोटा-देवरगढ़न बाया जयपुर-दिल्ली	143	122	235	800	2	0	2	0	286	0
188	लाहौत-सारे	146	175	0	321	2	0	2	0	292	0
189	धौलपुर-बोरी बाया खैरागढ़-अजमेर-मो वरधन-नंदगोव	131	35	0	188	2	0	1	0	262	0
190	मुरादाबाद-अलीगढ़-अ जमेर बाया मथुरा-जयपुर	238	334	0	570	2	0	2	0	472	0
191	अलवर-आगरा- फिरोजाबाद बाया मथुरा-दुण्डला	133	89	0	222	4	0	4	0	532	0
192	रामपुर-जयपुर बाया दिल्ली	190	167	130	487	2	4	2	4	380	668
193	मुरादाबाद-कोटा बाया दिल्ली	261	419	136	816	0	2	0	2	0	638
194	रामपुर-जयपुर बाया शाहबाद-सम्मल- आगरा	369	193	0	567	0	2	0	2	0	306
195	कन्नौज अजमेर बाया आगरा-जयपुर	363	331	0	694	0	4	0	4	0	1324
196	दौसा-सोरो बाया रोली-गोवरधन- मथुरा	191	110	0	301	2	0	2	0	382	0
197	सवाईमाधोवपुर- सोरो बाया गंगापुर-सिकंदरा- नदबाई-गोवरधन- मथुरा	191	207	0	398	4	0	4	0	764	0
198	दौसा-बरेली बाया भरतपुर-मथुरा	217	110	0	327	4	0	4	0	868	0
199	सवाईमाधोवपुर- मथुरा बाया गोवरधन	34	207	0	241	2	0	2	0	68	0
	TOTAL	34359	36752	13607	84718	523	335	367	280	56558	56774

[संख्या एफ. 9(14)परि/आर.टी.ए./यू.पी./IIIrd/39850]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव।

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

Jaipur, July 25, 2017

S.O.135 .-Whereas, the draft of interstate agreement between the States of Rajasthan and Uttar Pradesh was published in the official gazette vide notification number F.9(41) Pari/RTA/UP/Part-2009 dated 18th February, 2014 inviting

objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby and whereas objections or suggestions received thereupon have been considered and decided, the Interstate Reciprocal Transport Agreement signed between the States of Rajasthan and Uttar Pradesh on 13th June, 2017, as required by sub-section (6) of section 88 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published in the official gazette of the State of Rajasthan.

RECIPROCAL TRANSPORT AGREEMENT

This agreement made on this 13th day of June, 2017 between the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the Government of Uttar Pradesh which expression shall include his successors in office) of the one part and the Governor of Rajasthan (hereinafter referred to as the Government of Rajasthan which expression shall include his successors in office) of the second part.

WHEREAS, it is expedient in view of the rapid economic development of the country, to encourage the long distance Inter state Transport of the passengers and goods between the states of Uttar Pradesh and Rajasthan and to regulate, coordinate and control their operation, it is necessary to make a reciprocal agreement between the two States.

AND WHEREAS the parties here to desire that in the supersession of all the previous agreements on the subject entered into between them an agreement on the terms and conditions set out hereinafter may be made between them:

NOW THIS DEED WITNESSES AND the parties hereby mutually agree as follows:-

1. This agreement shall come into force with effect from the date of its final publication in the Official Gazette of respective States.
2. **GOODS CARRIAGE PERMITS:**
- (i) **Goods Carriage Permits under section 79 of the Motor Vehicles Act, 1988;**

The permit for goods carriage, without restriction on their number, issued by each state shall be countersigned by the Transport Authority of the other State on the recommendation of the State Transport Authority concerned, for the whole of the other State on single point tax basis. The counter signature shall be subject to the following conditions:-

- (a) Goods Carriage permits shall be subject to such conditions specified in section 79 of the Motor

Vehicles Act, 1988 and under the State Motor Vehicles Rules in force in the State concerned as the concerned transport authority may deem fit to impose.

- (b) That the vehicle covered by the counter signature shall not be used for picking up and setting down the goods at any two points within the territory of the reciprocating State i.e. such vehicles shall be prohibited from carrying on transport business exclusively within the territory of the reciprocating State.

(ii) Goods Carriage (Temporary Permits) under section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988

Temporary Permits Valid for a period not exceeding thirty days may be issued by the Transport Authority of one State without prior concurrence of the Transport Authority of the other State and without restriction on their number. The vehicles covered by these permits will not pick up and set down goods between any two points within the territory of the other State. There will be no restriction on the number of the trips that may be performed by the vehicles during the currency of the permit.

3. Contract Carriage Permits

(i) Contract Carriage Permits (Special Permits Under Section 88 (8) of the Motor Vehicles Act 1988)

These permits may be issued by the Transport Authority of each State without prior concurrence of the Transport Authority of the other State, according to the need of the tourists. The permit shall contain the detailed programme of the tour, showing the dates of onward and return journeys. The permit shall also contain the order in which the various places shall be visited along with and indication of the appropriate date of the arrival and the departure from each such place and a list of passengers travelling in the vehicle excluding motor cab, duly signed by the authority granting the permit.

(ii) Temporary Contract Carriage Permits under section 87 (1) (a) of Motor Vehicles Act, 1988

Temporary Contract carriage Permits shall be issued under section 87(1) (a) of the Motor Vehicles Act, 1988 by the transport authorities of each State without any limit on their number and without prior concurrence of the reciprocating State.

4. Stage Carriage Permits under section 72 of the Motor Vehicle Act, 1988

- (i) Reciprocal agreement with regard to operation of stage carriage on inter state routes between Uttar Pradesh and Rajasthan shall be as per Annexure "A" and "B".
- (ii) The number of trips allocated for each State on each inter-state route shall be fixed as far as possible according to the length of route falling in each State. A trip for purpose of this agreement will mean single trip daily. The routes mentioned in Annexure "A" and "B" shall always mean the shortest direct routes connecting the two terminals lying in the two States through the places mentioned therein. Any discrepancy discovered later in the name or length of route shown in the said Annexure shall promptly be corrected through correspondence between the reciprocating States and shall not be treated as any modification of the agreement.
- (iii) The time table for the routes mentioned in Annexure "A" shall be fixed by the permit issuing authorities of the two States and the time table for stage carriages for the routes mentioned in Annexure "B" shall be fixed by the concerned State Transport Undertakings, after mutual consultation if required.
- (iv) Passenger fares shall be charged according to the rates fixed by the respective State for the portion lying in the State.
- (v) The stage carriage permits of both the States falling under reciprocal agreement shall be countersigned on the single point taxation basis that means every such permit holder will have to pay only special road Tax/Passenger Tax/Goods Tax/Additional Tax etc. (By whatever name it is imposed).
- (vi) If for any reason, it has not been possible to decide an application for the renewal of the permit before its expiry, the home State may issue temporary permits under section 87 (1) (d) of the Motor Vehicles Act, 1988 for a period upto four months under intimation to the reciprocating State and such temporary permits, subject to proviso set out below, shall require countersignature of the reciprocating State, and the Motor Vehicle will be authorized to ply on single point taxation basis.

Provided that the application for renewal of permits has been submitted to the concerned authority within the time allowed for submission of renewal application under section 81 (2) of the Motor Vehicles Act, 1988.

- (vii) No permit for stage carriage shall be granted or countersigned other than that of State Transport Undertakings on nationalized routes or part thereof by the transport authorities of reciprocating States.
- (viii) Both the State Transport Undertakings can operate on any inter-state route by any vehicle out of its fleet, owned or hired under any arrangement entered into between such owner and the undertaking for the use of the said vehicle by the concerned State Transport Undertaking.
- (ix) The respective State Transport undertakings may add new services of stage carriage on notified routes or increase the numbers of trips on any existing route keeping in view the over all public demand by mutual agreement in writing with the approval of both the State Governments. This will also imply that no motor vehicle/road tax shall be payable by the respective State transport undertakings to the reciprocating State in respect of such services.
- x) All the previous stage carriage permits, which are countersigned by either state, before coming into force of this agreement, shall remain in force.

5. General Provision For Temporary Permits

- (i) Separate list of different type of temporary permits (Goods carriage/Contract Carriage) issued in each month shall be submitted to the Transport Commissioner's of each State by the other State.
- (ii) All temporary permits, excepting temporary permits issued under the foregoing Article 4 (vi), if countersigned or allowed, shall be on double point taxation basis that means every such permit holder will have to pay both special road tax/passenger tax and motor vehicle tax/road tax, as the case may be, along with the countersignature fee of concerned state.
- (iii) The Transport Authority of "Uttar Pradesh while granting such permit for the State of the Rajasthan shall direct the owner/driver to pay the taxes at the Tax Collection centers/Check posts at border before entering into the State.
- (iv) The Transport Authority of Rajasthan while granting such permit for the State of the Uttar Pradesh shall direct the owner/driver to pay the taxes due to the Uttar Pradesh State through e-payment or in the form of bank drafts drawn on the State Bank of India or in any other manner that may be subsequently prescribed by the Transport Commissioner. On the back of the bank draft, the temporary permit number

shall be mentioned to avoid the possibility of its being misused or utilized against any other permit. The number, date and amount of the bank draft shall be entered on the form of temporary permit and the bank draft shall be drawn in the name of Transport Commissioner, Uttar Pradesh payable at the headquarters of the Regional Transport Officer in whose area the vehicles enter in Uttar Pradesh. These bank drafts should be handed over by the driver or person in charge of the vehicle at the border check post/tax collection center established on the State border and if there is no tax collection center of Uttar Pradesh Government situated on the border same should be handed over in the office of the taxation officer situated nearest the point of entry in the territory of Uttar Pradesh. In case there will be any deficiency in the amount of tax so remitted it will be assessed and realized in cash at the border check post for which necessary receipt in the prescribed form shall be issued forthwith. Separate demand drafts shall be drawn for motor vehicles tax, passenger tax and goods tax or the new names assigned to these taxes, as the case may be.

6. **Taxation**

The taxes of reciprocating States in respect of different types of vehicles operating on various classes of permits will be payable as per provisions of the Taxation Act and Rules of the respective States.

7. **Counter signature**

The counter signature shall be granted by the State Transport Authority or Regional Transport Authority of any State, as the case may be, on the recommendation made by the Transport Authority of the other State.

8. **Corridor route**

In view of the geographical position of the two States of Rajasthan and Uttar Pradesh some routes having their originating and terminating points in one State have to pass through a small portion of the territory of the other State. The motor vehicles of the one State permitted to ply on such route have, therefore to pass through the small enclaves in the other State to complete the whole journey.

Under section 88 (1) of the Motor Vehicle Act, 1988 it has been provided that where both the starting point and the terminal

SP
pol
rou
exc
in
not
the
of t

cou
faci
"ta
cou

Aut
rou
issu
und
Mo
whi
cori
Act

9.
(i)

(ii)

point of a route are situated within the same state, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometers, the permit shall be valid in other State, in respect of that part of the route which is in that other State, notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of the other State.

In view of this specific provision of the law, countersignature of the permits of vehicles, availing corridor facility shall not be necessary but such permits, for purpose of taxes shall be treated as par with permits which are duly countersigned and shall be allowed on single point taxation basis.

Whenever the permits are granted by the Transport Authority of reciprocating State to operate the vehicle on corridor routes of other State, such permits shall be clearly endorsed by the issuing authority that countersignature of permits is not required under the second proviso of sub-section (1) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988. Issuing authority shall recover the whole taxes such as special road tax/passenger tax etc. of such corridor routes as is payable under the provisions of the Taxation Act and rules of concerning States from such permit holders.

9. General

- (i) The reciprocating States shall accord recognition of tax tokens, drivers and conductor license, transport vehicle authorisation and the certificate of fitness issued under the relevant routes of each of the two States in respect of vehicles operating on Inter-State routes, in accordance with this agreement.
- (ii) This agreement shall be valid till such time as a new agreement is arrived at between the two States. This agreement can, however, rescinded by either State after issue of three months notice. This agreement will be

Annexure B
List of routes and services on interstate routes between Rajasthan and Uttar Pradesh to be operated by RSRTC
& UPSTRTC (Notified Routes)

S. No.	Name of the Route	Kilometer				Single Trips		Permits		Operational Kms.	
		U.P.	Raj.	Other	Total	Raj.	U.P.	Raj.	U.P.	Raj.in U.P.	U.P.in Raj.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3a	3b	3c	3d	4a	4b	5a	5b	6a	6b
1	Agra-Gwalior	32	29	66	127	0	20	0	10	0	580
2	Agra-Rajakheda	32	7	0	39	24	0	6	0	768	0
3	Jaipur-Gwalior	82	221	66	369	4	6	4	6	328	1326
4	Agra-Jaipur Via Uncha-Nagla	50	192	0	242	4	24	4	12	200	4608
5	Gwalior-Delhi Via Agra	146	29	164	339	2	10	2	5	292	290
6	Jaipur-Kanpur Via Agra	340	202	0	542	0	4	0	4	0	808
7	Mathura-Gwalior Via Agra	90	29	66	185	6	6	3	3	540	174
8	Mathura-Bharatpur-Jaipur	22	198	0	220	8	16	8	8	176	3168
9	Aligarh-Ajmer Via Mathura-Jaipur	86	334	0	420	4	2	4	2	344	668
10	Vrindavan-Udaipur	37	630	0	667	2	2	2	2	74	1260
11	Mathura-Alwar	31	89	0	120	18	0	9	0	558	0
12	Agra-Bharatpur Via Chiksana	42	16	0	58	6	0	2	0	252	0
13	Agra-Bharatpur Via Fathpursikri	50	13	0	63	14	8	7	4	700	104
14	Agra-Dholpur	32	24	0	56	8	8	2	2	256	192
15	Agra-Khajuraho	130	29	248	407	0	4	0	4	0	116
16	Haridwar-Jaipur Via Delhi	145	167	184	496	12	12	12	12	1740	2004
17	Mathura-Kailadevi Via Bharatpur	22	173	0	195	4	0	2	0	88	0
18	Meerut-Ajmer-Pushkar Via Delhi	58	314	130	502	4	4	4	4	232	1256
19	Meerut-Balaji Via Alwar	58	163	147	368	2	2	2	2	116	326
20	Moradabad-Ajmer Via Delhi	161	299	130	590	0	4	0	4	0	1196
21	Bareilly-Ajmer Via Mathura	257	331	0	588	4	2	4	2	1028	662
22	Agra-Ajmer Via Bharatpur	50	331	0	381	0	4	0	4	0	1324
23	Bulandshahar-Ajmer Via Mathura	154	331	0	485	0	2	0	2	0	662
24	Mahoba-Agra	195	29	171	395	0	4	0	4	0	116
25	Jhansi-Delhi	162	29	242	433	0	2	0	2	0	56
26	Mahoba-Delhi	309	29	216	554	0	2	0	2	0	58
27	Meerut-Alwar Via Delhi, Gurgaon	58	38	147	243	4	2	4	2	232	76
28	Saharanpur-Ajmer Via Delhi	157	299	130	586	2		2	0	598	
29	Aligarh-Jaipur Via Mathura Igat	86	202	0	288	10	4	5	4	360	808

राजस्थान राज-पत्र, जुलाई 28, 2017 भाग 4 (ग)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30. Ajmer-Bikaner Via Bikaner-Jaipur	50	552	0	602	2	0	2	0	100	0
31. New Delhi-Jaipur Via Total	210	167	128	605	4	2	1	2	840	334
32. Sonan-Kanpur Via Mathura, Bharatpur	146	345	0	491	0	6	0	6	0	2079
33. Farukhabad-Jaipur Ajmer Via Kanunganj	344	331	0	675	3	2	0	2	0	662
34. Farukhabad-Jaipur Via Mathura, Agra	240	196	0	436	4	10	4	10	960	1960
35. Farukhabad-Jaipur Via Bikaner, Agra	430	196	0	626	8	4	8	4	3440	784
36. Kotdwar-Delhi-Jaipur Via Kotpur	155	167	134	496	0	2	0	2	0	334
37. Bharatpur-Dholpur Via Fatehpur Sikri	84	35	0	119	2	0	1	0	168	0
38. Bharatpur-Gwalior Via Chhatisa	74	25	66	185	2	0	1	0	148	0
39. Jaipur-Farukhabad Mathura, Shikohabad Via Agra Ext upto Farukhabad Via Mathura	90	196	0	292	4	0	2	0	384	0
40. Bharatpur-Bah Ext upto Kanpur Via Etawa	200	16	0	296	2	0	2	0	560	0
41. Kailashdham Via Agra	181	165	0	346	2	0	1	0	362	0
42. Bharatpur-Kanunganj Via Agra, Etah	208	11	0	219	2	0	1	0	410	0
43. Jaipur-Kanunganj Via Bharatpur, Agra	85	202	0	287	4	0	2	0	340	0
44. Luck-Farukhabad Via Agra Mainpuri	240	296	0	536	2	0	2	0	480	0
45. Bharatpur-Etawah-Jaipur Via Agra	179	11	0	190	2	0	2	0	358	0
46. Dholpur-Farukhabad	222	24	0	246	2	0	1	0	444	0
47. Dholpur-Fatehabad	159	24	0	183	2	0	1	0	318	0
48. Dholpur-Kanunganj Via Etah	188	24	0	212	2	0	1	0	376	0
49. Dholpur-Aligarh Via Agra	120	24	0	144	2	0	1	0	240	0
50. Mathura-Muzaffarnagar Via Agra Dholpur	60	29	29	148	4	0	2	0	560	0
51. Dholpur-Soron Via Agra, Etah	160	24	0	192	4	0	2	0	672	0
52. Gwalior-Aligarh Via Agra	118	29	66	213	2	0	1	0	236	0
53. Dholpur-Delhi Via Agra, Mathura	132	24	100	256	4	4	2	2	528	96
54. Jaipur-Ramnagar Via Delhi-Moradabad	148	167	171	486	2	2	2	2	296	334
55. Jaipur-Soron Via Bharatpur, Mathura	146	198	0	344	1 0	0	10	0	1460	0
56. Bharatpur-Koshi Via Deeg-Laman	18	70	0	88	6	0	3	0	108	0
57. Bharatpur-Bajna	85	14	0	99	6	0	3	0	510	0
58. Alwar-Agra Via Mathura	88	39	0	177	1 0	0	5	0	880	0
59. Alwar-Agra Via Bharatpur	52	128	0	180	4	0	2	0	208	0
60. Alwar-Aligarh Via Mathura	91	89	0	180	2	0	2	0	182	0
61. Alwar-Bareilly Via Mathura Soron	248	89	0	337	2	0	2	0	496	0
62. Bharatpur-Soron Via Mathura	146	17	0	163	4	0	2	0	584	0

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Sinsini-Bairwa	93	43	0	136	2	0	1	0	186	0
65	Bharatpur-Aligarh Via Mathura	88	17	0	105	10	0	5	0	880	0
66	Bharatpur-Maunagarhi Via Mathura-Bajna	94	17	0	111	2	0	1	0	188	0
67	Bharatpur-Deeg	43	17	0	60	2	0	1	0	86	0
68	Jaipur-Dauji	43	202	0	245	2	2	1	1	95	404
69	Delhi-Bharatpur Via Kaman, Deeg	17	67	130	194	18	0	9	0	686	0
70	Delhi-Bharatpur Via Mathura	17	17	100	186	4	4	2	2	261	63
71	Jaipur-Ajmer-Bikaner Via Deeg	8	128	0	136	17	0	6	0	96	0
72	Ajmer-Ajmer Via Delhi	56	299	120	437	2	0	2	0	116	0
73	Jaipur-Moradabad Via Kot, Delhi	182	137	130	479	2	2	2	2	383	334
74	Jaipur-Dehradun Via Jaipur, Delhi	136	167	227	539	4	2	4	2	544	321
75	Kharidol-Hastinapur Via Delhi-Meerut	89	69	130	298	2	0	2	0	196	0
76	Mahavir Delhi Via Bharatpur, Deeg	27	164	150	291	2	0	2	0	54	0
77	Alwar-Moradabad-Rampur Via Tijara, Bilwari	189	95	93	377	2	0	2	0	378	0
78	Jaipur-Haridwar Via Mathura	313	202	54	569	2	2	2	2	626	404
79	Sikar-Haridwar Via Delhi	145	120	184	449	2	0	2	0	290	0
80	Ladnu-Haridwar Via Delhi	145	246	184	575	2	0	2	0	298	0
81	Jhunjhunu-Haridwar Via Delhi	145	127	184	466	2	0	2	0	290	0
82	Bikaner-Haridwar Via Rajgarh, Bad, Shamli, Muzaffarnagar	70	257	296	643	4	0	4	0	280	0
83	Ganganaga-Haridwar Via, Bikaner, Hasansi, Pampat, Muzaffarnagar	70	227	272	569		0	2	0	140	0
84	Jodhpur-Haridwar Via Deeg	145	519	184	848	4	0	4	0	580	0
85	Jodhpur-Haridwar Via Deeg	145	583	190	926	2	0	2	0	290	0
86	Udaipur-Haridwar Via Delhi	145	609	183	937	2	0	2	0	290	0
87	Alwar-Haridwar Via Delhi	145	38	201	384	4	0	4	0	560	0
88	Bharatpur-Haridwar Via Mathura, Aligarh	313	17	54	384	2	0	2	0	626	0
89	Dholpur-Haridwar Via Agra, Aligarh, Meerut	347	24	54	425	2	0	2	0	694	0
90	Mathura-Deeg-Kama-Kosli	47	40	0	87	2	0	1	0	94	0
91	Jhansi-Meerut Via Gwalior, Dholpur	275	29	153	457	0	2	0	2	0	58
92	Lucknow-Ajmer Via Haridwar, Faridabad, Bawar-Agra	437	331	0	768	2	2	2	2	874	662
93	Agra-Kailadevi Via Fatehpur-sikari	50	170	0	220	2	2	1	1	100	340
94	Agra-Udaipur Via Bharatpur Jaipur	50	630	0	680	2	0	2	0	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Hindon-Bharatpur-Mathura-Saharanpur	295	94	0	389	2	0	2	0	590	0
96	Ajmer-Vrindavan	37	326	0	363	2	0	2	0	74	0
97	Bharatpur-Kosi Via Mathura Deeg	69	54	0	123	4	0	2	0	276	0
98	Bharatpur-Mathura	29	13	0	42	12	0	3	0	348	0
99	Dholpur-Samikhara	136	24	0	160	2	0	1	0	272	0
100	Mathura-Deeg	31	9	0	40	12	0	3	0	372	0
101	Bharatpur-Gondwara Via Etah	173	11	0	184	2	0	1	0	346	0
102	Bari-Agra-Itawa Via Khairgarh-Sauya	42	48	0	90	2	0	1	0	84	0
103	Dholpur-Bah	71	24	0	95	2	0	1	0	142	0
104	Bharatpur-Akola	40	11	0	51	2	0	1	0	80	0
105	Jaipur-Sunauli Via Agra	814	198	0	1012	0	4	0	4	0	792
106	Allahabad-Puskar Via Ajmer Agra	541	345	0	886	0	2	0	2	0	690
107	Banda-Ajmer	443	331	0	774	0	2	0	2	0	662
108	Agra-chhatarpur Via Dholpur	130	29	245	404	0	10	0	10	0	290
109	Kota-Jhansi Via Shivpuri	16	185	132	333	4	0	2	0	64	0
110	Bharatpur-Hathras Via Agra	104	11	0	115	4	0	2	0	416	0
111	Agra-Mount Abu	50	660	0	710	1	1	1	1	50	660
112	Tonk-Aligarh	93	298	0	391	4	0	2	0	372	0
113	Soron-Bharatpur	178	11	0	189	2	0	1	0	356	0
114	Agra-Jodhpur	50	526	0	576	4	0	4	0	200	0
115	Dholpur-Jaipur Via Agra	82	217	0	299	1	0	7	0	1148	0
116	Dholpur-Jodhpur Via Agra Bharatpur	82	550	0	632	2	0	2	0	164	0
117	Lucknow-Deeg Via Mathura	473	9	0	482	0	2	0	2	0	18
118	Ajmer-Shajahanpur Via Mainpuri	313	331	0	644	0	2	0	2	0	662
119	Firozabad-Agra via Gwalior, Dholpur	76	29	66	171	2	0	2	0	152	0
120	Hathras-Agra via Gwalior, Dholpur	87	29	66	182	2	0	2	0	174	0
121	Alwar-Aligarh-Hapur via Mathura, Bulandshahr	200	89	0	289	2	0	2	0	400	0
122	Alwar-Khair-Aligarh Via Mathura, Bajna	145	89	0	234	2	0	2	0	290	0
123	Jaipur-Goverdhan-Soron Via Deeg	174	198	0	372	2	0	2	0	348	0
124	Jodhpur-Aligarh	85	542	0	627	2	0	2	0	170	0
125	Ajmer-Kanpur	345	326	0	673	2	4	2	4	690	1312
126	Srimadhapur-Ramghat via Neem Ka Thana, Alwar, Mathura, Aligarh	138	200	0	338	2	0	2	0	276	0
127	Bharatpur-Hardoi via Kayamganj	616	22	0	638	2	0	2	0	1232	0
128	Alwar-Muradabad via Tijara, Bhiwadi, Delhi	157	94	96	347	2	0	2	0	314	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Kota-Jaipur-Muradabad via Kotputli, Delhi	161	422	136	719	2	0	2	0	322	0
130	Kota-Jaipur-Bareilly via Bharatpur-Mathura, Jajampatti	243	457	0	700	2	0	2	0	486	0
131	Jaipur-Tanakpur via Delhi	233	167	242	642	2	0	2	0	466	0
132	Bhilwada-Haridwar via Jaipur, Kotputli, Delhi	147	434	190	771	2	0	2	0	294	0
133	Chittorgarh-Haridwar via Begun, Mandalgarh, Deoli, Tonk, Jaipur	147	511	190	848	2	0	2	0	294	0
134	Ladnu-Haridwar via Mehla, Bhiwani, Rohtak, Panipat, Roorkee	90	209	258	557	2	0	2	0	180	0
135	Ladnu-Haridwar via Sujangarh, Ratangarh, Churu, Rajgarh, Hissar, Panipat	90	211	276	577	2	0	2	0	180	0
136	Jaipur-Kotdwara via Delhi	125	167	173	465	2	0	2	0	250	0
137	Jaipur-Rudrapur via Delhi	190	158	158	506	2	0	2	0	380	0
138	Kailadevi-Haridwar via Mathura	259	173	54	486	2	0	2	0	518	0
139	Bharatpur-Haridwar via Mathura	259	17	54	330	2	0	2	0	518	0
140	Kota-Haridwar via Jaipur, Delhi	145	419	184	748	2	2	2	2	290	838
141	Khetri-Haridwar via Narnol, Rewari, Delhi, Gaziabad, Meerut, Muzaffarnagar	143	74	243	460	2	0	2	0	286	0
142	Barmer-Haridwar via Bikaner, Rajgarh, Hissar, Panipat, Muzaffarnagar	90	705	537	133	2	0	2	0	180	0
143	Kuchaman-Haridwar via Sikar, Neem Ka Thana, Delhi	143	263	184	590	2	0	2	0	286	0
144	Degana-Haridwar via Sikar, Neem Ka Thana, Delhi	143	340	184	667	2	0	2	0	286	0
145	Nagaur-Haridwar via Deedwana, Sikar	143	361	184	688	2	0	2	0	286	0
146	Nagaur-Haridwar via Bhopalgarh, Merta, Ajmer, Delhi	143	536	184	863	2	0	2	0	286	0
147	Shrimadhampur-Haridwar via Ajeetgarh, Shapura, Delhi	143	141	184	468	2	0	2	0	286	0
148	Sambhar-Haridwar via Jobner, Renwal, Chomu, Chandwaji, Kotputli, Delhi	143	235	184	562	2	0	2	0	286	0
149	Ajmer-Haridwar via Delhi	145	299	184	628	2	0	2	0	290	0
150	Phalodi-Haridwar via Bap, Bikaner, Sardarshahar, Rajgarh, Hissar, Panipat, Muzaffarnagar	90	433	294	817	2	0	2	0	180	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Bikaner-Haridwar via Lunkaransar Rawatsar, Nohar, Bhadara, Hissar	90	332	258	680	2	0	2	0	180	0
152	Hathras-Jaipur via Mathura, Bhatnagar	70	202	0	272	0	2	0	2	0	404
153	Orai-Pushkar via Jalaun, Auraiya, Agra, Jaipur	253	345	0	598	0	2	0	2	0	690
154	Kotra-Balaji via Jalaun, Etawa, Agra	368	72	0	440	0	4	0	4	0	268
155	Orai-Jaipur via Umri, Rampura, Kanjosa, Udimod, Agra	310	192	0	502	0	2	0	2	0	384
156	Jhansi-Kota via Satpuri, Baran	16	185	132	312	0	4		4	0	740
157	Tikamgarh-Delhi via Jhansi, Gwalior, Agra	215	29	312	556	0	2	0	2	0	58
158	Orai-Kanlodevi via Madhogarh, Rampura, Kanjosa, Udimod, Agra	308	165	0	473	0	4	0	4	0	660
159	Moradabad-Ajmer via Saebhal, Aligarh, Agra	342	338	0	680	0	4	0	4	0	1352
160	Moradabad-Jaipur via Chandausi, Aligarh, Agra	302	198	0	500	0	2	0	2	0	396
161	Moradabad-Gwalior via Agra, Dholpur	282	29	66	377	0	2	0	2	0	58
162	Dhampur-Jaipur via Bijnor, Delhi	199	167	130	496	0	2	0	2	0	334
163	Meerut-Jaipur-Vanasthali via Delhi	57	243	112	412	0	2	0	2	0	486
164	Bah-Agra-Jaipur	125	196	0	321	0	2	0	1	0	392
165	Firozabad-Jaipur via Uda Nagari	100	196	0	296	0	2	0	1	0	392
166	Rajakhern-Delhi	152	7	89	248	0	2	0	1	0	14
167	Rupaidiha-Jaipur via Agra	636	196	0	832	0	2	0	2	0	392
168	Sitapur-Ajmer-Pushkar via Nainisharanya, Hardoi, Farrukhabad, Agra	418	331	0	749	0	2	0	3	0	662
169	Bareilly-Jaipur via Mathura	249	202	0	451	0	6	0	6	0	1212
170	Badzun-Ajmer	243	288	0	531	0	2	0	2	0	576
171	Bareilly-Kudarpur-Jaipur	281	202	42	525	0	2	0	2	0	404
172	Bareilly-Tanakpur-Jaipur	323	202	37	562	0	2	0	2	0	404
173	Rupaidiha-Jaipur via Agra	557	202	0	759	0	2	0	2	0	404
174	Chitrakoot-Jaipur via Kanpur, Agra	566	196	0	762	0	2	0	3	0	392
175	Allahabad-Jaipur via Kanpur, Agra	541	202	0	743	0	4	0	4	0	808
176	Saharanpur-Shaamli-Panipat-Hissar-Hanumangarh	90	165	207	462	0	2	0	2	0	330
177	Haridwar-Meerut-Delhi-Jaipur-Pushkar	143	314	186	643	0	4	0	4	0	1256
178	Muzaffarnagar-Delhi-Jaipur	115	167	130	412	0	2	0	2	0	334
179	Muzaffarnagar-Meerut-Mathura-Alwar	295	89	0	384	0	2	0	2	0	178
180	Muzaffarnagar-Meerut-Ajmer-Pushkar	115	314	130	559	0	2	0	2	0	628
181	Muzaffarnagar-Meerut-Mathura-Mahaveer Ji	223	113	0	336	0	2	0	2	0	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Saharanpur-Meerut via Mathura, Mahaveer Ji	211	111	0	408	0	2	0	2	0	226
183	Saharanpur-Meerut-Delhi-Jaipur	187	167	130	484	6	2	0	2	0	334
184	Saharanpur-Meerut-Mathura-Balaji	360	104	0	464	0	2	0	2	0	208
185	Saharanpur-Shamli-Delhi-Jaipur	156	167	159	482	0	2	0	2	0	334
186	Shakumbhari Devi-Bharatpur-Saharanpur-Meerut-Mathura	405	13	0	418	0	4	0	4	0	52
187	Kota-Dehradun via Jaipur, Delhi	143	422	225	800	2	0	2	0	286	0
188	Falset-Soron	146	175	0	321	2	0	2	0	292	0
189	Dholpur-Koshi via Khairagarh, Achhnera, Goverdhan, Nandgaon	131	35	0	166	2	0	1	0	262	0
190	Moradabad-Aligarh-Jaipur via Mathura-Jaipur	236	334	0	570	2	0	2	0	472	0
191	Alwar-Agra-Firozabad Via Mathura, Tundla	133	59	0	222	4	0	4	0	532	0
192	Rampur-Jaipur via Delhi	190	167	130	487	2	4	2	4	380	668
193	Moradabad-Kota via Delhi	261	419	136	816	0	2	0	2	0	838
194	Rampur-Jaipur via Shababad, Sambhal, Agra	369	198	0	567	0	2	0	2	0	396
195	Kanunauj-Ajmer via Agra, Jaipur	363	331	0	694	0	4	0	4	0	1334
196	Dausa-Soron via Kherli, Goverdhan, Mathura	191	110	0	301	2	0	2	0	382	0
197	Sawai Madhopur-Soron via Gangapur, Sikrona, Vadhai, Goverdhan, Mathura	191	207	0	398	4	0	4	0	764	0
198	Dausa-Bareilly via Bharatpur, Mathura	217	110	0	327	4	0	4	0	868	0
199	Sawai Madhopur-Mathura via Goverdhan	34	207	0	241	2	0	2	0	68	0
	TOTAL	34359	36752	13607	84718	523	335	367	280	56558	56774

[No. F 9(14)Pari/RTA/UP/IIIrd /39851]

By Order of the Governor,
Dr. Manisha Arora,
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.